न्यायालय, उपखाण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 16/2020

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. हंसराज सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 ओ हाल पट्टी तहसील व जिला तरनतारण पंजाब।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 10.02.2020

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, प्रेम कुमार अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : २/१०/२०२१

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 6.199 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम 3.099 हैक्टर भूमि राजस्व में दर्ज हैं। इसमें वादी का नाम हंसासिंह दर्ज है। जो कि गलत है। वादी का वास्तविक नाम हंसराज सिंह है, व इसी चक के खाता संख्या 45/47 व 57/57 में वादी का सही नाम हंसराज सिंह सही दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, में हंसराज सिंह अंकित है। चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 58 में हंसराज सिंह की बजाय हंसासिंह नाम गलत दर्ज होने से वादी को परेशानी हो रही है। वादी को बैंक लोन एंव कृषक पेंशन प्राप्त करने में मुश्किल पैदा हो रही है। इसलिए वादी अपने नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता हैं। वादी ने पटवारी तथा अधीनस्थ पटवारी हलका को वादी के नाम की दुरूस्ती करने बाबत कई मरतबा कहा है लेकिन प्रतिवादी ने टाल मटोल करते हुये आज से 10 रोज पूर्व दुरूस्ती करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया तथा तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/58 में वादी के दर्ज नाम हंसासिंह के स्थान पर हंसराज सिंह किये जाने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किया जिसमे कथन किया कि मेरा नाम हंसराज सिंह है मेरे तमाम दस्तावेजात आईडी वगैरा हंसराज सिंह के नाम से बने हुए है। चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 में मेरा नाम हंसासिंह [illegible] एक टाइप मिस्टेक है जबकि मेरा सही नाम हंसराज सिंह है। [illegible] अवलोकन किया [illegible], शपथ पत्र गवाह, जवाब

बहस सुनी गई व पत्रावली का [illegible] संबंधित विधिक प्रावधानों स्टेट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस [illegible] चक जमाबन्दी सम्वत 20[illegible] अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात [illegible] खाता संख्या 58/58 की जमाबन्दी, ता 77 के खाता संख्या 45/47, खाता संख्या 57/57 व खाता संख्या 58/58 की जमाबन्दी, वादी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 3 ओ प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58/58 के मुरब्बा नम्बर 38 में हंसराज सिंह पुत्र अवतार सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड में नाम हंसराज सिंह अंकित है। प्रमाण पत्र सरंपच ग्राम पचायंत 3 ओ के अनुसार हंसराज सिंह व हंसासिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। सही नाम हंसराज सिंह है। चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 45/47 व 57/57 में नाम हंसराज सिंह दर्ज है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58 में अंकित नाम हंसासिंह पुत्र अवतार सिंह के स्थान पर हंसराज सिंह पुत्र अवतार सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन आपके द्वार अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 3 ओ में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

हंसराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **16/2020**

निर्णय दिनांक :- 02.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **अधिवक्ता वादी श्री पलविन्द्र सिंह, प्रेम कुमार** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 58 में अंकित नाम हंसासिंह पुत्र अवतार सिंह के स्थान पर हंसराज सिंह पुत्र अवतार सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। **इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहे।** उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 2/10/2021...... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक 02/10/21

क्रमांकः राजस्व/ 2021/355
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर